छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 360/2006</u>

श्री गोविन्द राम वर्मा,
मोतीपुर, चौकीपारा, वार्ड नं. 6,
कृपासिन्धु आश्रम,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. विशेष सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(दिनांक 09 नवम्बर 2006)

श्री गोविन्द राम वर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी, विशेष सचिव राजस्व विभाग के द्वारा आवेदक की प्रथम अपील पर निर्णय न देने के फलस्वरूप द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 17.02.2006 को उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुद्रणालय के तकनीकी कक्षों की समय–सारणी, फोटोटाइप सेटर (डीपीटी) की मशानों एवं इस हेतु कितने ठेकेदारों को कार्य सौंपा गया, आदि की जानकारी चाही गई। जन सूचना अधिकारी ने वांछित जानकारी विशाल लोकहित में सन्निहित न होने के कारण जानकारी देने से इंकार किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं किया जिसके फलस्वरूप यह द्वितीय अपील अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रतिअपीलार्थी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी दोनों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्को को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा वांछित जानकारी प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबुझकर

नहीं दी गई। वांछित जानकारी प्रतिअपीलार्थी के ही कार्यालय में उपलब्ध थी। अतः प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावे।

4/ आयोग के द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र से 5 बिंदुओं पर जानकारी चाही थी। किन्तु इन बिंदुओं के साथ ही अन्य जानकारी जो कि काफी विस्तृत है, भी चाही गई थी। अपीलार्थी ने फोटोटाईप सेटर (डीपीटी) हेतु ठेकेदारी में कितने ठेकेदारों को कार्य सौंपा गया, उनको कितनी राशियों का भुगतान किया गया, ठेकेदारी हेतु निविदा कब–कब एवं किस माध्यम से जारी की गई, उसकी छायाप्रतियां, फोटोटाईप सेटर हेतु दैनिक वेतनभोगी नियुक्ति पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका प्रतिदिन कितने पेज का कार्य होता है, इन कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम व स्थानीय निवास के संबंध में जानकारी चाही गई। स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने कार्यालय में उपलब्ध जानकारी ही चाही थी। विशाल लोकहित का कारण बताते हुए सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने से इंकार किया गया। यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। सूचना अधिकारी ने बतलाया कि उसे अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी नहीं थी। चूंकि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण अपीलार्थी के द्वारा नहीं दिया गया है और न ही अभिलेख से यह प्रतीत होता है। अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चूंकि अपीलार्थी के द्वारा काफी विस्तृत जानकारी चाही है। अतः सूचना अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर तिथि नियत कर निःशुल्क अभिलेख का अवलोकन कराया जावे। अभिलेख अवलोकन के पश्चात् अपीलार्थी जो अभिलेख की प्रति चाहता है, उसकी प्रतियां अभिलेख शुल्क लेकर अपीलार्थी को प्रदान की जावे।

5/ उपरोक्त निर्देशों सहित अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी गोविन्द राम वर्मा के द्वारा जन सूचना अधिकारी, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को दिनांक 07–03–2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उसके द्वारा श्री सुन्दरलाल वर्मा, जुनियर कम्पोजिटर की पदोन्नति कब हुई, पदोन्नति आदेश की छायाप्रति, जनवरी 2004 में उसके वेतन की स्थिति, तथा वेतनवृद्धि संबंधी जानकारी चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष की जानकारी मांगे जाने के कारण अधिनियम की धारा–11 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसमें कि उससे सहमति मांगी गई कि क्या उसकी जानकारी आवेदक को दी जावे ? उसकी सहमति निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी, विशेष सचिव, राजस्व विभाग के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने के फलस्वरूप द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि तृतीय पक्ष की जानकारी होने के कारण

जनहित में अपीलार्थी को दिया जाना उचित नहीं माना गया। अपीलार्थी ने श्री सुन्दर लाल वर्मा जो कि अपीलार्थी के सगे भाई भी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित है, के बारे में अभिलेख चाहा था। अपीलार्थी ने ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये जिससे कि मांगी गई जानकारी जनहित में दिया जाना आवश्यक हो। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्कों को सुना गया। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि अपीलार्थी को उनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं होने के कारण पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। अतः इससे असंतुष्ट होकर शासकीय मुद्रणालय के अधिकारियों को परेशान करने की दृष्टि से तथाकथित भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के नाम पर शिकायतें करने के आदी हैं। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा शासकीय कर्मचारी के वेतनमान, वेतनवृद्वि एवं पदोन्नति से संबंधित जानकारी चाही थी। यह जानकारी सामान्य रुप से कार्यालय में उपलब्ध रहती है तथा इसे अपीलार्थी को दिये जाने में आपत्ति नहीं होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रकटन की जाना चाहिए, जब तक कि जानकारी निजी, गोपनीयता का उल्लंघन न करती हो। अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी 15 दिन के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का कोई प्रमाण नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

4/ अपीलार्थी की अपील उपरोक्त निर्देशों सहित स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त